कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लोक निर्माण विभाग
श्रीनगर गढ़वाल–246174

UTTARAKHAND

उत्तराखण्ड शासन

फोन/फैक्स न0 – 01346 – 252191,

ई–मेल – eepwdsrinagar@rediffmail.com, eepwdsrinagar2013@gmail.com

पत्रांक : 570 /28सी0 दिनांक 30/04/2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग,
पौड़ी गढ़वाल

विषय :– जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत गवाणा मोटर मार्ग के कि0मी0 4.00 से सुराड़ी गांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.250 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :– भारत सरकार का पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/06/154/2016/एफ0सी0/1488 दिनांक 06.12.2017 एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी देहरादून का पत्रांक 2558/FP/UK/ROAD/18605 /2016 दिनांक 25.01.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों के अनुपालन में उक्त मोटर मार्ग की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई थी, जिसकी अनुपालन आख्या इस कार्यालय के पत्रांक 1622/28सी0 दिनांक 30.10.2018 द्वारा पूर्व में प्रेषित कर दी गयी थी। परन्तु आतिथि तक भी उक्त मोटर मार्ग पर विधिवत स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। पुनः सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में अधिरोपित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्नवत है :–

बिन्दु सं0 1– शर्त सं0 01 के अनुपालन में प्रस्तावित प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 4.500 हे0 ग्राम गजेली सौड सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु रू0 27,32,243.00 (सताईस लाख बत्तीस हजार दो सौ तेतालिस) मात्र की आवश्यक धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गई है एवं 4.500 हे0 भूमि ग्राम गजेली सौड में सिविल सोयम भूमि को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया गया है। सुलभ सन्दर्भ हेतु पत्र की छायाप्रति संलग्न है।

बिन्दु सं0 2– शर्त सं0 2 के अनुपालन में प्रमाण–पत्र संलग्न है।

बिन्दु सं0 3– शर्त सं0 3 के अनुपालन में प्रमाण–पत्र संलग्न है।

बिन्दु सं0 4– शर्त सं0 4 के अनुपालन में चालान (Generate) की प्रति संलग्न है।

बिन्दु सं0 5– शर्त सं0 5 के अनुपालन में प्रमाण–पत्र संलग्न है।

बिन्दु सं0 6– शर्त सं0 6 की अनुपालन आख्या आपके द्वारा दी जानी है।

बिन्दु सं0 7– उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न है।

अतः भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून के द्वारा प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति के पत्र में अधिरोपित शर्तो का निस्तारण कर वांछित सूचना इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि विधिवत स्वीकृति हेतु उक्त सूचना ऑन लाईन/ऑफ लाईन अपर प्रमुख वन संरखक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण निदेशालय, इन्दिरानगर, फारेस्ट कॉलोनी, देहरादून को प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्न :– 03 प्रस्ताव।

भवदीय

30/04/24

(के0 किशोर कुमार)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
श्रीनगर गढ़वाल

पत्रांक : /28सी0 दिनांक /04/2024

प्रतिलिपि :– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण निदेशालय, इन्दिरानगर फारेस्ट कॉलोनी, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिलाधिकारी गढ़वाल को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अधीक्षण अभियन्ता, 12वां वृत्त, लो0नि0वि0 पौड़ी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सहायक अभियन्ता तृतीय, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 श्रीनगर को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
श्रीनगर गढ़वाल

Scanned with OKEN Scanner

विनु ४/०-02
शर्त २/०-02

मार्ग का नाम :– जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत गवाणा मोटर मार्ग के कि०मी० 4 से सुराडी गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत गवाणा मोटर मार्ग के कि०मी० 4 से सुराडी गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण में भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार एन०पी०वी० की धनराशि आंकलित कर जमा की गई है।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
श्रीनगर (गढ़वाल)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
श्रीनगर (गढ़वाल)

Photo Copy Attested

सहायक अभियन्ता
नि०ख०लो०नि०वि०
श्रीनगर (गढ़वाल)

Scanned with OKEN Scanner

बिन्दु सं0–03
शर्त सं0–03

मार्ग का नाम :– जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत गवाणा मोटर मार्ग के कि0मी0 4 से सुराडी गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत गवाणा मोटर मार्ग के कि0मी0 4 से सुराडी गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण में सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दरों में बड़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दर की धनराशि लोक निर्माण विभाग द्वारा जमा की जायेगी।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो॰नि॰वि॰
श्रीनगर (गढ़वाल)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
श्रीनगर (गढ़वाल)

Photo Copy Attested

सहायक अभियन्ता
नि०ख०लो०नि०वि०
श्रीनगर (गढ़वाल)

NEFT RTGS CHALLAN

बिन्दु सं० – 04
ग्रा० सं० – 04

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 12-09-2018

Agency Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	6118605420
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/154/2016/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Executive Engineer Construction division P.W.DPauri Garhwal
Amount(in Rs)	2732243/-

Amount in Words :Twenty-Seven Lakh Thirty-Two Thousand Two Hundred and Forty-Three Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896118605420 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 12-09-2018

Agency Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	6118605420
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/154/2016/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	Executive Engineer Construction division P.W.D Pauri Garhwal
Amount(in Rs)	2732243/-

Amount in Words :Twenty-Seven Lakh Thirty-Two Thousand Two Hundred and Forty-Three Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896118605420 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

छाया प्रति प्रमाणित

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
[illegible]गर (गढ़वाल)

Scanned with OKEN Scanner

बिन्दु सं0–5
शर्त सं0–5

<u>मार्ग का नाम :–</u> जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत गवाणा मोटर मार्ग के कि0मी0 4 से सुराडी गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत गवाणा मोटर मार्ग के कि0मी0 4 से सुराडी गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण के पश्चात जहां–जहां सम्भव हो मोटर मार्ग के दोनों किनारों पर Central Verge पर लोक निर्माण विभाग द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Strip Plantation किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
श्रीनगर (गढ़वाल)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
श्रीनगर (गढ़वाल)

Photo Copy Attested

सहायक अभियन्ता
नि०ख०लो०नि०वि०
श्रीनगर (गढ़वाल)

Scanned with OKEN Scanner

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा दी गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति के पश्चात विधिवत स्वीकृति प्राप्त करने हेतु शर्तों की अनुपालन आख्या के प्रपत्र/प्रमाण पत्र

मोटर मार्ग का नाम :—जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत गवाणा मोटर मार्ग के कि0मी0 4 से सुराडी गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।

कार्यालय प्रति
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
श्रीनगर (गढ़वाल)

Scanned with OKEN Scanner

केवल E-Mail/Fax द्वारा

।। कार्यालय जिलाधिकारी गढ़वाल ।।

E-Mail ID:dmgarhwal@gmail.com /PHONE- 01368-222250/Fax: 222080

संख्याः 1859/26-प्रशा0अधि0(सा0प्रशा0)/2018, दिनांक पौडी जून 12 ,2018

"आदेश"

उपजिलाधिकारी श्रीनगर के पत्र संख्याः 08/जे0ए0/2017-2018 दिनांक 16.05.2017 के द्वारा जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड खिर्सू में गवाणा मोटर मार्ग के कि0मी0 04.00 से सुराड़ी गांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु ग्राम गजेली सौड़ पट्टी चलणस्यूं तहसील श्रीनगर के नॉन जेड0ए0खतौनी खाता संख्या 60 खेत संख्या 1897 रक्वा 3.946 है0 एवं खेत संख्या 1950 रक्वा 3.079 है0 मध्ये 0.554 है0 कुल 4.500 है0 श्रेणी 9(3)ख(2) झाड़ी दर्ज सिविल भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित कर संस्तुति की गयी है। प्रस्तावित भूमि का संयुक्त निरीक्षण किया गया है जो कि उक्त प्रयोजन हेतु उपयुक्त है।

2. शासनादेश संख्याः 2173/XVII (2)/2012-18 (120)2010 दिनांक 17.12.2012 के द्वारा विभिन्न सरकारी योजना के लिए क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु 20,000 है0 सिविल भूमि को वन विभाग के पक्ष में नियमानुसार हस्तान्तरित किये जाने का प्राधिकारी जिलाधिकारी को प्रतिनिधायित किया गया है।

अतः जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड खिर्सू में गवाणा मोटर मार्ग के कि0मी0 04.00 से सुराड़ी गांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु उपजिलाधिकारी श्रीनगर की आख्या एवं उक्त शासनादेश में दिये गये निर्देशानुसार ग्राम गजेली सौड़ पट्टी चलणस्यूं तहसील श्रीनगर के नॉन जेड0ए0खतौनी खाता संख्या 60 खेत संख्या 1897 रक्वा 3.946 है0 एवं खेत संख्या 1950 रक्वा 3.079 है0 मध्ये 0.554 है0 कुल 4.500 है0 श्रेणी 9(3)ख(2) झाड़ी दर्ज सिविल भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उपजिलाधिकारी/तहसीलदार श्रीनगर तद्नुसार अभिलेखों में अमलदरामद की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(सुशील कुमार)
जिलाधिकारी,गढवाल।

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1 सचिव,राजस्व अनुभाग,उत्तराखण्ड शासन,देहरादून।
2- आयुक्त,गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
3 नोडल अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी,गढ़वाल वन प्रभाग,पौड़ी।
4 अधिशासी अभियन्ता,निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0,श्रीनगर।
5- उपजिलाधिकारी/तहसीलदार,श्रीनगर।

(सुशील कुमार)
जिलाधिकारी,गढवाल।

छाया प्रति प्रमाणित
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
श्रीनगर (गढ़वाल)

Scanned with OKEN Scanner

ग्राम – गजेली सौड़   पट्टी – चलणस्यूं-2   परगना – देवलगढ़   तहसील – श्रीनगर   जिला – गढ़वाल

फांट (खेत) खाता नं०	मुन्तखिब (खतौनी) खाता नं०	खातेदार / मालिकान का नाम पितृ नाम व निवास स्थान	मुद्दत काश्त या कब्जा	हाल खसरा नं०	रकबा (है०) में	नाम तोक	और मजरूआ शामिल जोत	मालगुजारी	सीर	मालिकाना / मौरूसी	किस्म जमीन तलाऊ	उपजाऊ [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	विस्तार [illegible]	[illegible]	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11-12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
श्रेणी – 9(3) ख(2) – जिसमें वृक्ष झाड़ियां व लम्बी घास पायी जाती हो																			
	60	इजाड़ी उत्तराखण्ड सरकार		11	0.133														
				×	×														
				×	×														
				×	×														
				1897	3.946														
				×	×														
				1950	3.079														
				×	×														
				2756	0.925														
		योग		159	281.600														

जिलाधिकारी महोदय गढ़० के संख्या 1850/26-प्रशा० अधि० (सा०प्रशा०)/2018 दि० पौड़ी जून 12, 2018 व तहसीलदार श्रीनगर के आदेश दि० 15/6/18 के विकास खण्ड खिर्सू के अन्तर्गत मोटर मार्ग के कि०मी० 4.00 से सुरखी गांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु ग्राम गजेली सौड़ के नाम जे०ड० ए० खाता सं० 60 खेत नं० 1897 रकबा 3.946 है० एवं खेत सं० 1950 रकबा 3.079 है० में से 0.554 है० कुल 4.500 है० श्रेणी 9(3) ख(2) झाड़ी [illegible] भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम संक्रमित/हस्तान्तरण होने से दर्ज किया।

प्रमाणित प्रति

[signature] 10/10/18
(मानस मोहन)
रा० उ० नि० ... चलणस्यूं
तहसील ... श्रीनगर
जनपद पौड़ी गढ़वाल

छाया प्रति प्रमाणित
[signature]
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
[illegible] (गढ़वाल)

बिन्दु सं० – 01
शर्त सं० – 01

प्रारुप–43

परियोजना विवरण :– जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र श्रीनगर के विकास खण्ड खिर्सू में गवाणा मोटर मार्ग के कि0मी0 4 से सुराड़ी गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित ग्राम गजेली पट्टी चलणस्यूं, तहसील श्रीनगर, जिला पौड़ी गढ़वाल की सिविल सोयम स्थल जो संलग्न मानचित्र में दर्शाया गया, वृक्षारोपण हेतु सर्वदा उपयुक्त है।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
श्रीनगर (गढ़वाल)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
श्रीनगर (गढ़वाल)

प्रभागीय वनाधिकारी
सिविल एवं सोयम
वन प्रभाग पौड़ी

कृते जिलाधिकारी
गढ़वाल

पटवारी
जिला पौड़ी गढ़वाल

तहसीलदार
श्रीनगर गढ़वाल

उपजिलाधिकारी
श्रीनगर गढ़वाल

Photo Copy Attested

23/4/2014
सहायक अभियन्ता
नि०ख०लो०नि०वि०
श्रीनगर (गढ़वाल)

Scanned with OKEN Scanner